बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 173129 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 03-01-14

ग्रा०वि० - 10/बजट-93/2013

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के अवधि विस्तार एवं पारिश्रमिकी भुगतान हेतु अधियाचना भेजे जाने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अवधि विस्तार संबंधी आदेश ज्ञापांक 1174 दिनांक 07.05.13 एवं 11.73 दिनांक 07.05.13 (प्रति संलग्न) निर्गत किया जा चुका है । संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, अवधि विस्तार के बाद पूर्ववत अपने पूर्व पदस्थापित प्रखंडों में योगदान देकर कार्यरत है और उन्हें प्रखंड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में रहते हुए एकरारनामा भी देना होता है ।

आप भलि-भांति अवगत है कि संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी के पारिश्रमिकी का भुगतान गैर योजना बजट शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-0001-प्रखंड स्थापना (विपत्र कोड- एन.2515001020001 एवं मांग संख्या-42) के अंतर्गत किया जाता है । चूंकि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्ति की ओर है ।

अतएव अविलंब अपने जिलान्तर्गत संविदा पर नियोजित प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी की प्रखंडवार सूची, योगदान की तिथि (अवधि विस्तार के बाद) का उल्लेख करते हुए राशि की अधियाचना भेजें ताकि उनके लंबित पारिश्रमिकी का आवंटन दिया जा सके ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - यथोक्त ।

3.1.14

(मिथिलेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव

Application 2039

N